"कोविड हेल्पडेस्क की हुई शुरुवात! बहनों आओ करें अपने स्वास्थ्य की बात !!"

महिला स्वास्थ्य अधिकार पर जागरूकता अभियान

सरकारी अस्पताल से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत फ्री मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएँ सेवाएँ जो हमें मिलनी चाहिए और जिनका लाभ हम ले सकते है

गर्भवती महिला का पंजीकरण

गर्भवती महिला की खून व अन्य जांचें मुफ्त

गर्भवती महिला की मुफ्त सोनोग्राफी

गर्भवती महिला के लिए मुफ्त दवाएं

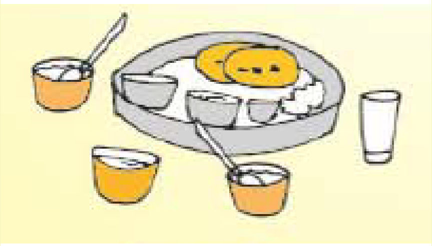

सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला के लिए मुफ्त खाना

घर से अस्पताल व अस्पताल से घर आने हेतु गर्भवती महिला के लिए मुफ्त एम्बुलेंस

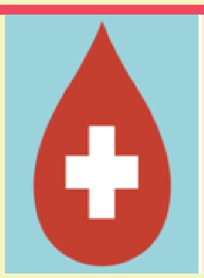

सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला के लिए मुफ्त खून

प्रसव उपरांत 42 दिन तक महिला व बच्चे की मुफ्त देखभाल

शुरुवात से लेकर प्रसव उपरांततक महिला की देखभाल हेतु आशा द्वारा गृह भ्रमण

परिवार नियोजन व गर्भ निरोधक साधन

गर्भ निरोधक साधन जिनका उपयोग हम नर्स , ए.एन.एम या डाक्टर की सलाह से कर सकते है

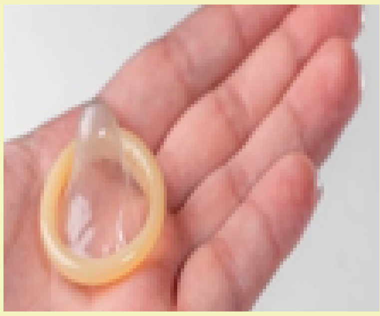

पुरुष कंडोम

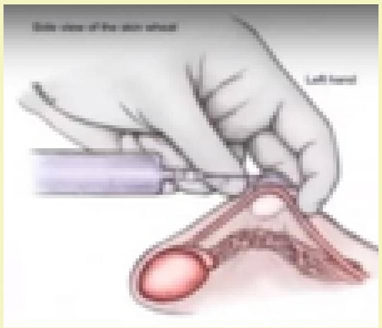

पुरुष नसबंदी

महिला नसबंदी
ए.एन.एम. या डाक्टर की सलाह से करवाई जा सकती है जो स्थाई साधन है

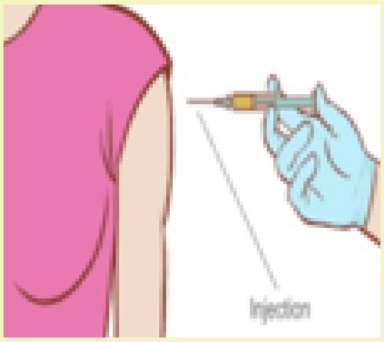

गर्भ निरोधक इंजेक्सन जो की नर्स , ए.एन.एम. या डाक्टर की सलाह से लगवाया जा सकता है

इमरजेंसी पिल जो की नर्स , ए.एन.एम. या डाक्टर की सलाह से ली जा सकती है

कापर टी
, ए.एन.एम. या डाक्टर की सलाह से लगवाई जा सकती है

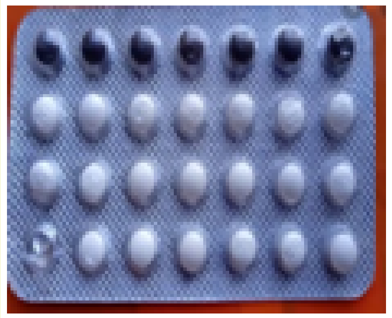

गर्भ निरोधक गोलियां जो की नर्स , ए.एन.एम. या डाक्टर की सलाह से ली जा सकती है

गर्भ निरोधक साधन के जरुरत ,उपयोग आदि के बारे में नर्स , ए.एन.एम. या डाक्टर से सलाह ली जा सकती है

सेवाओं का लाभ कौन ले सकता है ?

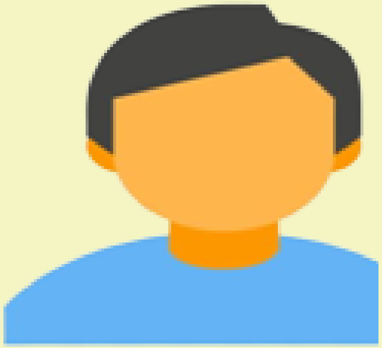

कोई भी महिलाएं , लड़कियां , पुरुष व अन्य

सेवाओं का लाभ कहाँ से ले सकते है ?

ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस

परिवार नियोजन व गर्भ निरोधक साधनों को अपने नजदीकी अस्पताल व गाँव में ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान ले सकते है

जिम्मेदार -सेवाप्रदाता / स्टाफ

परिवार नियोजन व गर्भ निरोधक साधनों को लेने हेतु अस्पताल के डाक्टर , नर्स, ए.एन.एम. आदि से मुख्यत: संपर्क किया जा सकता है

कानूनी व सुरक्षित गर्भ समापन–महिला स्वास्थ्य अधिकार

भारत में कुछ परिस्थितिओं में गर्भ समापन कराना कानूनी रूप से मान्य है !

गर्भ समापन महिला किन स्थितिओं में करा सकती है?

- महिला के जीवन या स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो।
- महिला के साथ बलात्कार हुआ हो।
- गर्भ निरोधक साधनों की विफलता या फेल हो जाना।
- जन्म लेने वाले बच्चे में शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता का जोखिम हो।

गर्भ समापन के लिए कानूनी समय सीमा क्या?

- 20 सप्ताह तक कानूनी रूप से गर्भ समापन कराया जा सकता है।
- 12 सप्ताह से कम गर्भवस्था होने पर 1 पंजीकृत चिकित्सक की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है!
- 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भवस्था होने पर 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है!

गर्भ समापन कौन कर सकता है व तरीके क्या हैं?

- मेडिकल टर्मीनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के अंतर्गत केवल पंजीकृत प्रशिक्षित चिकित्सक ही कर सकता है।
- गोलियों के माध्यम–7 सप्ताह या 49 दिनों की गर्भवस्था के दौरान गोलियों के माध्यम पंजीकृत डॉक्टर की सहमती या राय से,
- सर्जरी या औजार के द्वारा– 7 से 20 सप्ताह के गर्भावस्था के दौरान प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा।

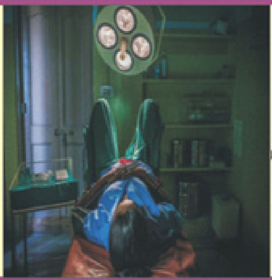

सुरक्षित गर्भ समापन सेवायें कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?

- सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल।
- मेडिकल टर्मीनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के अंतर्गत पंजीकृत निजी नर्सिंग होम/अस्पताल

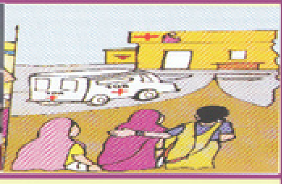

इसकी जरुरत पर या अधिक जानकारी हेतु आप अपने गाँव की आशा, सरकारी अस्पताल ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , जिला अस्पताल या पंजीकृत निजी अस्पताल जो कि मेडिकल टर्मीनेशन आफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के तहत पंजीकृत है, से संपर्क कर सकते है!

सुरक्षित गर्भ समापन में पुरुषों को आगे आना है– MTP कानून के प्रति जागरूक बनाना है!
गर्भ निरोधक साधन अपनाओ– परिवार को स्वस्थ्य बनाओ !

अधिक जानकारी हेतु अपने गाँव के हेल्पडेस्क या आशा से संपर्क कर सकते है

हेल्पडेस्क संचलानकर्ता का नाम ....संपर्क ....

महिला स्वास्थ्य अधिकार अभियान ,उ० प्र०

सहयोग, ए -240 इंदिरा नगर लखनऊ 226016 फोन -0522-2310860

E-mail-sahayog@sahayogindia.org

सहयोगी संस्था- साकार -बरेली , स्वाभिमान समिति -सिद्धार्थनगर
नारी चेतना समिति -जौनपुर

सीमित व निजी वितरण हेतु

PAI
pai.org